प्रकरण संख्या 5/2022 श्रीमती धापू बनाम हीरासिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालसिंह उपस्थित हुए जबकि रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि दिनांक 08.07.2022 को प्रकरण आप न्यायालय में बहस हेतु नियत था, इस हेतु अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा बहस हेतु अवसर चाहे जाने पर दिनांक 09.09.2022 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्ट के अधिवक्ता के रिश्तेदारी में मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट को दाह संस्कार हेतु बाहर जाना पड़ा, इस कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा अपीलान्ट बीमार होने से उपस्थित नहीं हो सके इस कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। अपील आप न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने से अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया जावे। रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके अनुपस्थित रहने से आप न्यायालय द्वारा अपील अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की गयी है, जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा की आदेशिका अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के बाद निरन्तर 24 पेशियों पर या तो कार्य स्थगित रहा है अथवा पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त या अवकाश पर रहे हैं तथा दिनांक 14.01.2022 से 08.04.2022 तक चार पेशियों में पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने का अंकन है, उसके बाद की पेशी में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से दिनांक 08.07.2[illegible] पेशी नियत की गयी है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा बहस हेतु अवसर [illegible] पर उन्हें अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2022 को अपीलान्ट को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:24:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी है, जिससे प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अतः अपील का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 09.09.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:24:09 IST
Reason: SelfAttested